न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– पंकज कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 05/2023
<u>प्रार्थीगण :–</u>

1. दलपत सिंह पुत्र श्री दीपसिंह उम्र 70 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम इंद्रोका तहसील व जिला जोधपुर ।

बनाम

<u>अप्रार्थीगण :–</u>

1. पन्ने सिंह पुत्र श्री भीखसिंह, जाति राजपूत, निवासी गांव पोस्ट इन्द्रोका, तह. व जिला जोधपुर।
2. अर्जुन सिंह पुत्र श्री भीखसिंह, जाति राजपूत, निवासी गांव पोस्ट इन्द्रोका हाल निवास प्लोट नं. 7 खसरा सं. 144, रूप नगर डिगाडी तह. व जिला जोधपुर।
3. केशर कंवर पुत्री श्री जेतसिंह पत्नी श्री जेयेन्द्र सिंह, निवासी– 456, मोहन नगर बी. बीजेएस कॉलोनी जोधपुर।
4. कमलेश कंवर पुत्री श्री जेतसिंह पत्नी श्री तेजपालसिंह, ग्राम पोस्ट ऑसिया तह. ऑसिया, जोधपुर।
5. दलपतसिंह पुत्र श्री जालम सिंह, जाति राजपूत, निवासी इन्द्रोका हाल निवास एसएलबीएस एज्युकेशन सेन्टर के पास गली सं. 6 शक्ति नगर पावटा सी रोड़ जोधपुरं
6. परबत सिंह पुत्र री जालम सिंह, जाति राजपूत, निवासी इन्द्रोका हाल निवास– गली सं. 2 जालम विलास, पदमावती नगर द्वितीय, जोधपुर।
7. उच्छब कंवर पत्नी स्व. श्री सांग सिंह
8. यशपाल सिंह पुत्र स्व. श्री सांग सिंह,
9. भंवर कंवर पुत्री स्व. री सांग सिंह पत्नी री चन्दन सिंह,
10. कैलाश कंवर पुत्री स्व. श्री सांग सिंह पत्नी श्री हुकम सिंह,
11. राज कंवर पुत्री स्व. श्री सांग सिंह पत्नी श्री मोहन सिंह
12. विनोद कंवर पुत्री स्वं. श्री सांग सिंह पत्नी श्री प्रेम सिंह,
13. सुन्दर कंवर पुत्री स्व. श्री सांग सिंह पत्नी श्री नरपत सिंह

    जातियान राजपूत, निवासीगण इन्द्रोका, हाल निवास प्लोट सं. 127 भगवती नगर, बालसंमद, जोधपुर।
14. भंवर कंवर पत्नी स्व. श्री दौलत सिंह जी,
15. हिम्मत सिंह पुत्र स्व. श्री दौलत सिंह जी,
16. कन्यपालसिंह पुत्र स्वं. श्री दौलत सिंह जी,
17. छैलू कंवर पुत्री स्व. श्री दौलत सिंह जी,

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

18.मनोज कंवर पुत्री स्व. श्री दौलत सिंह जी,
जातियान राजपूत, निवासीगण इन्द्रोका हाल निवास प्लोट सं. 11 गली नं. 7 शिक्षक कॉलोनी चौपासनी स्कूल के सामने चौपासनी जोधपुर।

19.खुमान कंवर पुत्री आईदान सिंह. पत्नी श्री कल्याण सिंह, जाति राजपूत निवासी– सिंघासनी तह. लूणी, जिला जोधपुर।

मोहन कंवर पुत्री स्वं. श्री आईदान सिंह (फौत) के वारीसान

20.नरपत सिंह पुत्र सुजान सिंह, जाति राजपूत, निवासी दूदीया, तह. रोहत जिला पाली।

21.सागर कंवर पत्नी श्री भंवर सिंह जाति राजपूत, निवासी मकान सं. 55 (आशिर्वाद बालाजी) सुन्दर नगर पाली।

22.कैलाश कंवर पत्नी श्री ओमसिंह जी, जाति राजपूत निवासी डी बिल्डिंग, 7 फलोर फलेट सं. 707 मधुबन सोसायटी आलन्दी रोड़, विशरान्तवादी पुना (महाराष्ट्र)।

लेर कंवर पुत्री स्व. श्री आईदान सिंह (फौत) के वारीसान अप्रार्थी सं. 23 से 28

23.हरदयाल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, जाति राजपूत निवासी रावला बास घंटीयाली, तह. व जिला जोधपुर हाल निवास गुरू कृपा ट्रेक्टर, ग्राउण्ड शॉप आदर्श नगर, नागौर रोड़ फलौदी।

24.पारस कंवर पत्नी दीप सिंह, जाति राजपूत, निवासी छैकला, तह. जसवंतपुरा, जिला जालौर।

25.कंचन कंवर पत्नी श्री अनोप सिंह, जाति राजपूत, निवासी छैकला, तह. जसवंतपुरा, जिला जालौर।

26.किरण कंवर पत्नी श्री भगवान सिंह जी, जाति राजपूत, निवासी छैकला, तह. जसवंतपुरा, जालौर।

27.संतोष कंवर पत्नी सोहन सिंह जी, जाति राजपूत, निवासी रावला बास घंटीयाली तह. व जिला जोधपुर।

28.मनोहर कंवर पत्नी परमेश्वर सिंह भाटी, जाति राजपूत, निवासी गुरूकृपा ट्रेक्टर, ग्राउण्ड शॉप, आदर्श नगर, नागौर रोड़ फलौदी जिला जोधपुर।

29.नीर कंवर पत्नी श्री प्रेमसिंह जी जाति राजपूत निवासी नीर सदन, 183 हनुवन्त बी, बली सं. 17 बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर।

30.राजस्थान राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर।

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः– 1. श्री उम्मेद सिंह बांवरला अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

2. श्री आनंद सिंह भाटी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 23 से 28 की ओर से।

3. श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ अप्रार्थी सं. 5 व 6 की ओर से।

3. अृप्रार्थीगण सं. 1 से 4, 7 से 22 व 29 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

–:आदेशः– दिनांकः– 21/3/24

प्रार्थीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 251– ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा सं. 224 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा व खसरा सं. 225 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम इन्द्रोका भू.अ. निरीक्षण क्षेत्र माणकलाव तह. व जिला जोधपुर में स्थित है। जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो प्रार्थना पत्र का भाग व अंग समझा जावे। प्रार्थी की खातेदारी व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि के दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण के सहखातेदारी कृषि भूमि खसरा सख्या 223 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 217 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा ग्राम इन्द्रोका पटवार हल्का इन्द्रोका, तहसील व जिला जोधपुर में आई हुई हैं। उपरोक्त कृषि भूमि खसरा सख्या 223 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बीघा 1 बिस्वा जरिये नामान्तकरण सख्या 842 पीएचईडी के नाम दर्ज हो जाने से शेष रकबा 20 बीघा व 12 बिस्वा अप्रार्थीगण के सहखातेदारी की कृषि भूमि हैं इसी प्रकार खसरा संख्या 217 रकबा 22 बीघा व 1 बिस्वा में 0.15 बिस्वा जरिये नामान्तकरण संख्या 842 पीएचडी के नाम दर्ज हो जाने से शेष रकबा 21 बीघा 6 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 1 से 29 के हिस्से में सहखातेदारी की भूमि रही, जो अपने अपने हिस्से में काबिज काश्त हैं। उपरोक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 223 व 217 के दक्षिणी हिस्से से डामर सड़क गुजरती है तथा प्रार्थी की उक्त डामर सड़क जाने के लिए अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 217 में से होकर गुजरना पड़ता है व कदमी रास्ता चलता हैं जिससे प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 224 व 225 में जाने के लिए निकटतम व लघुतम रास्ता है इसके अलावा कोई वेकल्पिक रास्ता उपल्बध नहीं हैं तथा अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 223 व 217 की चालू जमाबंदी की नकल प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न हैं। प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 से 29 के सहखातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 217 में से एक कदमी रास्ता चलता है, जिसे नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया है। उपरोक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि में कृषि कार्य इत्यादि के लिए आने जाने हेतु दूसरा कोई वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

हैं। उक्त रास्ते को प्रार्थी आने जाने हेतु उपयोग कर रहे हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 से 29 को उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु कई मर्तबा निवेदन किया परन्तु अप्रार्थीगण संख्या में ज्यादा होने व अलग अलग पतों पर निवास करने के कारण रास्ते का मामला आपसी सहमति से तय नहीं हुआ इसलिए प्रार्थी माननीय न्यायालय से रास्ता तय करने एंव राजस्व अभिलेख व नजरी नक्शा में रास्ता दर्ज करवाने का अधिकारी होने से प्रार्थी की ओर से श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं इसलिए न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना कानूनन न्यायोचित हैं। अप्रार्थी संख्या 1 से 29 के सहखातेदारी कृषि भूमि खसरा सख्या 217 में से 15 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के खातेदारी भूमि से सड़क तक रास्ते की अति आवश्यकता हैं। क्योंकि उपरोक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को आये दिन खातेदारों से अनावश्यक परेशानी उठानी पडती है। जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने में अत्यन्त कठीनाई होती हैं। इस कारण उपरोक्त रास्ता घोषित किया जाना कानूनन न्यायोचित है। जिसके लिए प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा करवाने हेतु भी तैयार हैं। जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग के नाम दर्ज भूमि में सड़क बनी हुई हैं। इस कारण प्रार्थी की जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग के विरूद्ध किसी प्रकार की इस्तदुआ नहीं होने से इनको प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित नहीं हैं। अप्रार्थीगण को कई दफा निवेदन किया गया, परन्तु अप्रार्थीगण रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। वादग्रस्त कृर्षि भूमि खसरा संख्या 217 के सहखातेदार श्रीमती सुन्दर कंवर पत्नी स्व. आईदान सिंह जी लाऔलाद फौत हो चुका हैं इनके निकटतम उत्तराधिकारी अप्रार्थी सख्या 1 से 29 हैं। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 224 व 225 में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 29 के सहखातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 217 ग्राम इन्द्रोका तहसील व जिला जोधपुर के नजरी नक्शे में वर्णित ए से बी तक 15 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रेकर्ड में राजकीये रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमावे। अन्य कोई अनुतोष जो प्रार्थी के पक्ष में हो व न्यायोचित हो सादिर फरमावे।

अप्रार्थीगण को विधिवत् नोटिस भेजे गए। अप्रार्थीगणों को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर अप्रार्थी सं. 5, 6 एवं अप्रार्थी सं. 23 से 28 का जवाब बंद किया गया। शेष अप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस एक पक्षीय सुनी गयी। प्रार्थीगण ने प्रार्थन पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना–पत्र को ही अपनी बहस माना।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, तहसीलदार जोधपुर की ओर से प्रस्तुत प्रस्तावित की रास्ते की मौका जांच रिपोर्ट, राजस्व रिकॉर्ड एवं समग्र पत्रावली का अध्ययन कर विचार किया गया।

रास्ते की मौका जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी ने मौजा इन्द्रोका के खसरा सं. 224, 225 में स्थित भूमि पर जाने हेतु खसरा सं. 223 व 217 में से रास्ता चाहा है

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

प्रार्थी जहां से रास्ता चाह रहे है वहां पर कोई कदमी रास्ता नहीं है। मौके पर पेड़ रोहिड़ा व झाड़ियां खड़ी हैं। खसरा सं. 224 व 225 में जाने हेतु प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही निकटतम दूरी पर स्थित है। खसरा सं. 217 में से रास्ता हेतु भूमि 0–11 बीघा एवं खसरा सं. 223 में से रास्ते हेतु भूमि 0–11 बीघा कुल रास्ते हेतु भूमि 01–02 बीघा एवं रास्ते की चौड़ाई 20 फीट प्रस्तावित है। मौके का नजरी नक्शा संलग्न मौका फर्द (मूल) अनुसार है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर 13 वृक्ष हैं।

उपरोक्त रिपोर्ट के विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास वैकिल्पक तौर पर अपने खातेदारी भूमियों में आने–जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को वास्तविकता में प्रार्थना–पत्र व सलंग्न रिपोर्ट के नजरी नक्शे में दर्शाये गये रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा उक्त चाहा गया रास्ता सबसे लघुतम व निकटतम दूरी पर रास्ता स्थित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तहसीलदार जोधपुर की ओर से प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट दिनांक 23.10.2023 के नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये गये रास्ता (ग्राम इन्द्रोका तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नं. 223 व 217) में से होकर गुजरता है। जो कि प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 224 व 225 में पहूँचता है उपरोक्त लाल स्याही से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी के खेतो में आने जाने हेतु स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक रास्ते में रूप में अंकन करते हुए लाल स्याही से नक्शे में तरमीम की जावें साथ ही जिन–जिन खसरो में से रास्ता प्रस्तावित किया गया उस रास्ते का अलग–अलग खसरे अनुसार कितना–कितना रकबा बनता है उस रकबे अनुसार प्रार्थीगण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर से जो नियमानुसार राशि बनती है उसकी दुगनी राशि की डी.डी. बनाकर तहसील कार्यालय में प्रस्तुत करें। तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि पटवारी के मार्फत रास्ते की राशि काश्तकारों को दी जावे। काश्तकारों द्वारा उपरोक्त राशि लेने से इनकार करने पर नियमानुसार राजकोष में उपरोक्त राशि जमा करवायी जावें। सलंग्न नजरी नक्शा इस आदेश का भाग समझा जायेगा। स्वीकृत रास्ते में आने वाले पेड़ों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत हटाने की कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश की पालना हेतु एक आदेश की प्रति तहसीलदार जोधपुर को भेजने हेतु तहरीर जारी की जावें।

पंकज कुमार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी जोधपुर

आदेश आज दिनांक 21/8/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पंकज कुमार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर